जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 28.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति 1

उपायुक्त, खूँटी की अध्यक्षता में आज दिनांक 28.03.2018 को सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के साथ समाहरणालय सभागार, खूँटी में नगर निकाय चुनाव 2018 को लेकर बैठक हुई। उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए उपायुक्त महोदय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के साथ ही खूंटी नगर पंचायत में निर्वाचन 2018 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दिनांक 16.04.2018 को मतदान एवं दिनांक 20.04.2018 को मतगणना की तिथि निर्धारित है, जिसके लिए आदर्श आचार संहिता के तहत् किसी भी अभ्यर्थी या किसी राजनैतिक दल को ऐसा कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा जिससे कि किसी धर्म, समप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए किसी राजनैतिक दल द्वारा धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए, जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध हों जैसे–बिना किसी मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता के कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना, चुनाव सभा में गड़बड़ी करना, मतदाताओं को रिश्वत, धमकी या किसी प्रकार का पारितोषिक देना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, मतदाताओं का गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना आदि। मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के अगले सुबह 7:00 बजे तक किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाएगी और न ही उसके द्वारा किसी को पेश या वितरित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी या किसी राजनैतिक दल द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा तथा किसी प्रकार की गड़बडी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समथकों को रोका जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी या किसी राजनैतिक दल चुनाव सभा आयोजित करता है तो उसके आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जाएगी एवं आयोजन की पूर्व सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी जाएगी तथा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल समय पूर्व से आवश्यक अनुमति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक राजनीतिक दल/अभ्यर्थी ऐसे कार्यकर्त्ताओं को रोका जाएगा जो अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने या उन्हे जलाने का प्रयास करेंगें। मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं को बिना बैज या पहचान पत्र के प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दिया जाएगा। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम, चुनाव चिन्ह या दल का नाम नहीं होना चाहिए। मतदान केन्द्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी ताकि विभिन्न अभ्यर्थियों के समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति को टाला जा सके। मतदान की तिथि को वाहन परिचालन पर लगाये गये प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी भी वाहन जिसके लिए सक्षम पदाधिकारी से आवश्यक परमिट नहीं प्राप्त की गई है, को अवैध माना जाएगा।

उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों से नगर पंचायत चुनाव 2018 का निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण कराने में सहयोग की अपील की। इस बैठक में दानियल कन्डुलना, सामान्य प्रेक्षक, प्रदीप कुमार, व्यय प्रेक्षक एवं रजत अनुप कच्छप, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, खूँटी आदि उपस्थित थे।